आदेश का क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित
1	2	3

17.5.17

न्यायालय अपर समाहर्त्ता, अररिया

जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 – 211/2016–17

शशि भूषण प्रधान, पिता–गुणानंद प्रधान, सा0–नयापट्टी विस्टोरिया, थाना–रानीगंज, जिला–अररिया।

बनाम

1. छुतहरू यादव, पिता–स्व0 चानो यादव
2. रामधारी यादव, पिता–दोनाय यादव

सभी सा0–नयापट्टी विस्टोरिया, थाना–रानीगंज, जिला–अररिया

आदेश

प्रस्तुत वाद अंचल अधिकारी, रानीगंज के पत्रांक 706, दिनांक 09.05.2016 द्वारा निम्न विवरण की जमीन का दो–दो जमाबंदी कायम हो जाने के फलस्वरूप विपक्षी छुतहरू यादव के नाम दर्ज जमाबंदी को रद्द करने हेतु अभिलेख सं0 16/2013–14 अपनी अनुशंसा सहित इस न्यायालय को प्रेषित किया गया है।

वादग्रस्त का विवरण

मौजा	खाता	खेसरा	रकवा
नयापट्टी विस्टोरिया अंचल–रानीगंज	974 26	2334 2333	54 डी0 65 डी0 1.19 डी0

न्यायालय द्वारा संबंधित पक्षकारों को सूचना निर्गत की गई। विपक्षी की ओर से पक्ष प्रस्तुत होने पर उनके विज्ञ अधिवक्ता को सुना गया।

प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि खाता सं0 974, खेसरा सं0 2344, रकवा 1.19 ए0, खेसरा 2334, रकवा 0.54 ए0, खेसरा 2335, रकवा 0.19 ए0, खेसरा 2336, रकवा 0.22 ए0, खेसरा 2337, रकवा 0.71 ए0, खेसरा 2346, रकवा 0.67 ए0, खेसरा 2422, रकवा 0.03 ए0 एवं खेसरा 2345, रकवा 0.10 ए0, कुल रकवा 3.65 ए0 भूमि का आर0एस0 खतियान श्रीमती रनिया देवी, पति–मुनि लाल प्रधान वो रधुनंदन प्रधान, पिता–स्व0 अजय लाल प्रधान; सा0–जगता खरसाही को ब हिस्सा बराबर दर्ज है। जिसपर दोनों खयितानी रैयत दखलकार थे। दखली के दौरान खतियानी रैयत रधुनंदन प्रधान ने अपने हिस्से की पूर्ण भूमि 1.82½ ए0 निबंधित दस्तावेज सं0 9870, दिनांक 28.11.1997 द्वारा आवेदक शशि भूषण प्रधान को बिक्री कर

[illegible] उनके द्वारा क्रय भूमि का ब्योरा निम्न है –

मौजा	खाता	खेसरा	रकबा
			0.59½ डी0
		2344	0.27 डी0
		2334	0.09½ डी0
बिस्टोरिया थाना नं0 2	974	2335	0.35½ डी0
		2336	0.33½ डी0
		2346	0.09½ डी0
		2422	0.05 डी0
		2345	कुल 1.82½ डी0

क्रय उपरांत आवेदक भूमि पर दखलकार हुए और विधिवत दाखिल–खारिज कराकर जमाबंदी सं0 5124/6024 दर्ज कराकर लगान रसीद प्राप्त करते आ रहें है। शेष 1.82½ ए0 दूसरे खतियानी रैयत श्रीमती रनिया देवी के नाम से चल रही तथा उसका जमाबंदी सं0 973 कायम है।

इनका यह भी कहना है कि पतरी देवी विक्रेता का दावा है कि खतियानी भूमि उनके भैसूर की है, जिसके आधार पर निबंधित दस्तावेज सं0 3871, दिनांक 22.03.2002 द्वारा प्रश्नगत (वादग्रस्त) भूमि छुतहरू यादव, पिता–स्व0 चानो यादव को बिक्री कर दी गई है। प्रश्नगत खाता 974, खेसरा 2334 से रकवा 54 डी0 तथा खाता 26, खेसरा 2333 से 65 डी0, कुल 1.19 ए0 जमीन पतरी देवी द्वारा बिक्री की गई है। खाता 26 उनके पति एवं पिता के भाईयों के नाम से खतियान में दर्ज है, जिससे आवेदक को कोई मतलब नहीं है। क्योंकि उक्त खाता 26 उनके द्वारा क्रय नहीं की गई है। छुतहरू यादव के क्रय केवाला का दाखिल–खारिज वाद सं0 727/2002–03 द्वारा होकर जमाबंदी दर्ज हो चुका है। पुनः पतरी देवी द्वारा वादग्रस्त खाता 974, खेसरा सं0 2335, 2336 एवं 2237, रकवा क्रमशः 0.19 ए0, 0.22 ए0 एवं 0.71 ए0, कुल 1.12 ए0 निबंधित दस्तावेज सं0 8337, दिनांक 01.08.2003 द्वारा क्रेता रामधारी यादव, पिता–स्व0 दोनाई यादव को बिक्री कर दी गई है। जिसका दाखिल–खारिज उनके पक्ष में नहीं हुआ है। छुतहरू यादव के नाम नामान्तरण वाद सं0 727/2002–03 द्वारा रकवा 1.19 ए0 भूमि का जमाबंदी दर्ज है। इस प्रकार खाता सं0 974, खेसरा सं0 2334, रकवा 0.54 डी0 का दो–दो जमाबंदी दर्ज होने के फलस्वरूप विवाद की स्थिति है, जिसे रद्द करने का अनुरोध करते है।

दूसरी ओर विपक्षी छुतहरू यादव के विज्ञ अधिवक्ता का कहना है कि प्रश्नगत भूमि पर सब जज सप्तन के न्यायालय में दिवानी वाद सं0 183/2000 लंबित है। प्रश्नगत भूमि इस स्वत्व वाद में सन्निहित है। ऐसी परिस्थिति में इस वाद की कार्रवाई करना न्योयोचित नहीं होगा। अतएव इस वाद की कार्रवाई को समाप्त करने का अनुरोध करते हैं।

उभय पक्षों के विज्ञ अधिवक्ता को सुनने, निम्न न्यायालय के अभिलेखों का

17.5.17

परिशीलन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि के खाता सं0 974 के खतियानी रैयत मुनेंदन प्रधान से आवेदक का खेसरा सं0 2334 से रकवा 0.27 ए0 भूमि अन्य भूमि के साथ रकवा कुल 1.82½ ए0 निबंधित दस्तावेज स0 3730, दिनाक 28.11.1997 द्वारा प्राप्त है, जिसका नामांतरण होकर जमाबंदी सं0 5124/6024 आवेदक के नाम से दर्ज होकर लगान रसीद वर्ष 2013–14 तक निर्गत है। प्रश्नगत खाता 974, खेसरा सं0 2334, रकवा 27 डी0 की जमाबंदी संयुक्त खाते में रनिया देवी के नाम से शेष बची हुई हैं। प्रश्नगत खाता 974, खेसरा सं0 2334 के रकवा 54 डी0 भूमि पतरी देवी जो खतियानी रैयत श्रीमती रनिया देवी, पति–मुनिलाल प्रधान के भाभों है, ने भैंसुर की सम्पत्ति को अपनी सम्पत्ति बताते हुए निबंधित केवाला सं0 3871, दिनांक 22.03.2002 द्वारा क्रेता छुतहरू यादव के साथ बिक्री कर दी गई है। जिसका दाखिल–खारिज वाद सं0 727/02–03 द्वारा दाखिल–खारिज होकर जमाबंदी कायम है। जबकि प्रश्नगत खेसरा का कुल खयितानी रकवा 54 डी0 ही है और एक फरिकेन द्वारा बिक्री उपरांत 27 डी0 का जमाबंदी आवेदक शशि भूषण प्रसाद के नाम से जमाबंदी सं0 5124/6024 दर्ज होकर लगान रसीद निर्गत हो रहा है। शेष 27 डी0 भूमि का जमाबंदी खतियानी रैयत श्रीमती रनिया देवी के नाम पर जमाबंदी सं0 973 चल रही है और दोनों को वर्ष 2013–14 तक का लगान रसीद निर्गत है। पुनः उसी खेसरा की जमीन रकवा कुल 54 डी0 का छुतहरू यादव के नाम जमाबंदी दर्ज होना ही विवाद का कारण है। चूँकि एक ही जमीन की दो–दो जमाबंदी दर्ज होना अवैध है। अतः बाद में क्रय भूमि के आधार पर छुतहरू यादव के नाम से दर्ज की गई खेसरा सं0 2334 से रकवा 54 डी0 के जमाबंदी को रद्द किया जाता है।

पारित आदेश की प्रति अंचल अधिकारी, रानीगंज को आवश्यक कार्रवाई हेतु भेंजे।

लेखापित एवं संसोधित

ह0/-
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ह0/-
अपर समाहर्त्ता,
अररिया

ज्ञापांक 50/रा0(न्या0), अररिया, दिनांक 17/05/2017

प्रतिलिपि : अंचल अधिकारी, रानीगंज को जमाबंदी रद्दीकरण वाद सं0 16/2013–14 मूल के साथ सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 17.5.17
अपर समाहर्त्ता,
अररिया